



मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

अधिसूचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्ण क्षेत्रीय शाखा 15 नोबलकॉट नगर, गयापल्ली, भुवनेश्वर (उड़ीसा) के क्षेत्रीय निदेशक के पत्रांक ER-299:6:249/ERCA/24.04.18/2017-53048 दिनांक 02.05.17 के द्वारा स्वीकृत की गयी मान्यता के आलोक में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया की अधिपद की दिनांक 05.07.2017 को आहूत बैठक के बाद संख्या 66 पर पारित प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित श्री विद्या श्री कुमुदा शैक्स हेनिडा कॉलेज में दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र 2017-18 से 100 सीटों के साथ नामांकन की स्वीकृति एन.सीटी.ई. की मान्यता जारी रहने तक निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है:

1. स्थान श्रेणी के पण्डाधिकारी के सम्मुख लिखे गये शपथ-पत्र पर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा उल्लेख होगा कि एन.सीटी.ई./राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देश, पत्राचारों (संलग्न : अनुलग्नक - 1) का अनुपालन किया जा रहा है। इस संदर्भ में पत्र प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अनुपालन करने की सुनिश्चितता को इंगित कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा विश्वविद्यालय विधि-सम्मत कार्रवाई प्रवृत्त कर सकेगा।
2. एन.सीटी.ई. के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप महाविद्यालय प्रबंधन ने शिक्षकों की नियुक्ति की है एवं उनकी आधार संख्या एवं पैम संख्या अभिलेखित की जा चुकी है।
3. महाविद्यालय प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट ई.पी.एफ. की सुविधा कॉलेज में कार्यरत सभी कर्मियों को प्रदान करेगा।

अधिपद के द्वारा संबन्धन की स्वीकृति औपबधिक होगी एवं उक्त संबन्धन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (यथापरिवर्तित) की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधानों के अधीन होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर नियमानुसार उच्च स्तरीय जाँच दल द्वारा महाविद्यालय की शैक्षणिक तथा पंचवकीय गुणवत्ता को जाँच कराया जाते रहेगा, जिसमें महाविद्यालय प्रबंधन पूर्ण सहयोग करेगा।

मगध विश्वविद्यालय महोदय के आदेशानुसार
 ह/—
 कुलसचिव
 मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
 दिनांक 25/08/2017

संज्ञांक वि.वि. 2405/17

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूच्यार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अप्रसारित:-

1. सचिव/प्रधानाचार्य, श्री विद्या श्री कुमुदा शैक्स हेनिडा कॉलेज बुजखा बाहीगंज, पटना
2. सहायक कुलसचिव, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
3. परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, गया सचिवालय, पटना 800001
5. प्रभाषी शाखा कार्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना।
6. विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना।
7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्ण क्षेत्रीय शाखा 15 नोबलकॉट नगर, गयापल्ली, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

कुलसचिव
 मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
25.08.17